आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

08/9/25

न्यायालय, श्रीमती मनीषा तिर्की,विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची।

एस०ए०आर०वाद सं०-100/2023-24

मुन्नी हेमरोम ..... आवेदक।

बनाम्

(1) सामुएल नाग
(2) सिकन्दर नाग
(3) प्रवीण तिर्की ..... विपक्षीगण।

आदेश

आवेदिका मुन्नी हेमरोम, पति–स्व० धरमा पाहन, जाति–मुण्डा निवासी स्थान–कडरू, इमली टोली, थाना–अरगोड़ा, जिला–राँची के द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जमीन वापसी हेतु वाद दायर किया गया है। जो वाके मौजा–कडरू, थाना नं०–208, खाता–193, प्लॉट नं०–620 तथा कुल रकबा–38 डिसमिल पर आवेदक ने आरोप लगाया है कि उनकी खतियानी जमीन विपक्षीगण (1) सामुएल नाग, (2) सिकन्दर नाग एवं (3) प्रवीण तिर्की, पिता–पौलुस तिर्की ने छल प्रपंच कर जमीन को हड़प लिये हैं।

जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	कुल रकबा
कडरू	208	193	620	38 डिसमिल

आवेदक ने अपने आवेदन एवं शपथ पत्र में उल्लेख किया है कि प्रश्नगत जमीन खतियान में वकाश्त भुईहरी तथा लगान पाने वाले का नाम वरना पाहन के नाम से दर्ज है। आवेदिका मुन्नी हेमरोम खतियानी रैयत के वंशज धरमा पाहन की पत्नी है एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। विपक्षीगण ने उपायुक्त से अनुमति प्राप्त किये बिना ही छल–प्रपंच से जबरन जमीन पर कब्जा कर आवेदिका को बेदखल कर दिया है।

इसी को आधार मानते हुए कारण पृच्छा प्रस्तुत करने हेतु विपक्षीगण को नोटिस निर्गत किया गया। तत्पश्चात् विपक्षीगण की ओर से कारणपृच्छा दाखिल किया गया।

विपक्षीगण अपने कारणपृच्छा में कहते हैं कि विपक्षीगण सी०एन०आई० चर्च, कडरू के ऑफिस के कर्मचारी है। चर्च एक धार्मिक स्थल है। आवेदिका द्वारा इस वाद में सी०एन०आई० चर्च, कडरू को पक्षकार नहीं बनाया गया है। तकरारी जमीन को सी०एन०आई०

8/9/25

कृ०पृ०उल्टे

08/9/25

चर्च, कडरू ने निबंधित पट्टा से दिनांक—18.01.1974 को खरीदा है। आवेदिका द्वारा सी॰एन॰आई॰ चर्च, कडरू को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो कि Non-Joinder of necessary Party है, इसलिए इस केस को खारिज किया जाए। सी॰एन॰आई॰ चर्च, कडरू का खाता सं०—193, प्लॉट सं०—620, मौजा—कडरू, थाना सं०—208 कुल रकबा—38.5 डिसमिल है, जिसका खेवट सं०—04 में वरना पाहन नाम दर्ज है। वरना पाहन ने 1947 ई० में 2000(दो हजार) रूपया सलामी लेकर मनिन्द्र चन्द्र गोप पिता— हरिचन्द्र गोप बन्दोबस्त किए है। इसके बाद मनिन्द्र चन्द्र गोप ने दखल—कब्जा के साथ छप्परबंदी मालगुजारी 04 रूपया दिया करते थे। प्रश्नगत् भूमि पर 1947 ई0 से खेतीबाड़ी नहीं हो रहा है, इसके उपरान्त ही बन्दोबस्त कर्त्ता ने लगातार सलाना मालगुजारी लगान पाने वाले को देते रहे हैं। इसके बाद सी॰एन॰आई॰ चर्च, कडरू को दिनांक—18.01.1974 ई० को निबंधित पट्टा से सी॰एन॰आई॰ चर्च, कडरू through the then priest incharge and successor in the office of Ranchi Priest of the Church of India under Chotanagpur Diocesan Trust Association through its present priest incharge Rev C.N. Kerketta. को निबंधित पट्टा से बिक्री कर दिए। इसके पश्चात् सी॰एन॰आई॰ चर्च, कडरू दखल—कब्जा के साथ रहकर बिना किसी बाधा के साथ चर्च बनाकर प्रार्थना कर रहे हैं। इसके बाद सी॰एन॰आई॰ चर्च, कडरू 1974 ई० से ही पक्का चर्च प्रार्थना स्थल बनाकर लगातार प्रार्थना करवा रहे हैं। चर्च भी लगातार पूर्व जमींदार को मालगुजारी देते आ रहे हैं। सी॰एन॰आई॰ चर्च, कडरू के नाम पर राँची नगर निगम, राँची में हाल्डिग टैक्स दे रहे हैं। यह स्पष्ट है कि 1974 ई० के पट्टा के अनुसार भी छप्परबंदी टैक्स दे रहे हैं। चूँकि यह जमीन छप्परबंदी है, इसलिए इसपर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा—71"A" लागू नहीं होता है तथा यह वाद कालबाधित है, क्योंकि 1947 ई० में ही जमींदार ने वर्णित भूमि को बंदोबस्त कर दिया था, जिसका जिक्र निबंधित पट्टा सं०—945, दिनांक—18.01.1974 में दर्ज है। यह वाद 76 वर्ष बाद लाया गया है, जो कि पोषणीय नहीं है तथा कालबाधित है। सी॰एन॰आई॰ चर्च, कडरू ने गैर आदिवासी अर्थात सामान्य व्यक्ति से निबंधित पट्टा करवाये हैं। यह जमीन कृषि योग्य नहीं है, वर्णित भूमि पर सिर्फ चर्च का ही पक्का निर्माण हुआ है, जिसपर सिर्फ प्रार्थना ही होता है। इसलिए चर्च का तकरारी भूमि पर 1974 ई0 से पूर्ण स्वामित्व एवं अधिकार है। आवेदिका भू—माफिया के बहकावे में आकर यह केस किया है, जबकि 1947 ई० में अपना अधिकार आवेदिका के वंशजो द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यह भूमि छप्परबंदी

M:- 8/9/25

कृ०पृ०उल्टे

08/9/25

है इसलिए इसपर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" लागु नहीं होता तथा यह वाद कालबाधित एवं पोषणीय नहीं है।

आवेदिका की ओर से 03 गवाह प्रस्तुत किये। गवाह सं० 01 मुन्नी हेमरोम, पति–स्व० धरमा पाहन अपने शपथ–पत्र में कहते हैं कि मैं इस वाद में आवेदिका हूँ तथा मैं अनुसूचित जनजाति की सदस्य हूँ। यह वाद मैंने विपक्षीगण के विरूद्ध भू–वापसी के लिए किया है। यह जमीन खतियानी है। यह भूमि वकास्त भूईहरी पहनई है जो स्थानांतरण योग्य नहीं है। जिसे सी०एन०आई० चर्च, कडरू ने छल–प्रपंच कर हड़प लिया। तथा बिना उपायुक्त के परमिशन के लिए हैं। अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि मेरे 03 बच्चे हैं ज्योति हेमरोम, 21वर्ष, लक्ष्मी 18, ओम हेमरोम, 14 वर्ष है। इस वाद में बच्चों को आवेदक नहीं बनाया गया है। खतियान परना पाहन के नाम पर है, परना पाहन का कुर्सीनामा दाखिल नहीं किये है। जमीन पर गिरजाघर है, गिरजाघर को पार्टी नहीं बनाया गया है। धरमा पाहन मेरे पति थे, इनकी मृत्यु 2008 में हो गई, मेरे पति गिरजाघर से लेन–देन करते थे।

आवेदिका की ओर से गवाह सं०–02 प्रवीण लकड़ा, पिता–जीवन लकड़ा अपने शपथ–पत्र में कहते हैं कि मैं दोनो पक्ष को जानता हूँ। आवेदिका वर्णित जमीन के खतियानी के उत्तराधिकारी हैं। जमीन बकास्त भूईहरी पहनई है। उपरोक्त प्लॉट की जमीन 38 डिसमिल पर विपक्षी ने अवैध तरीके से कब्जा कर लिया। आवेदिका के पूर्वज सी०एन०आई० चर्च, कडरू को भूमि हस्तांरित नहीं किया है तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46, 48 एवं 49 का उल्लघंन कर जमीन लिए हैं। यह अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि आवेदिका मेरी बहन लगती है। विवादित जमीन में मेरा हक नहीं बनता है। आवेदिका का इसके अलावा 11 एकड़ और जमीन है। मेरी कोई अपनी जमीन नहीं है। विपक्षी ने जो कागजात दिए है वह देखा हूँ, वर्णित रजिस्ट्री पट्टा 1974 का है, खरीदने वाले का नाम चर्च दर्ज है। जबसे मैं जन्म लिया हूँ, तब से मैं चर्च के जमीन को देख रहा हूँ। मैं सामाजिक कार्यकर्त्ता हूँ, जमीन वापसी के लिए मैं लोगों की मदद करता हूँ।

आवेदिका की ओर से गवाह सं०–03, सज्जाद अंसारी, पिता–खालिद अपने शपथ– पत्र में कहते हैं कि आवेदिका को मैं जानता हूँ, आवेदिका ने भू–वापसी के लिए यह केस किया है। उपरोक्त जमीन वकास्त भूईहरी पहनई जमीन है। विपक्षीगण सी०एन०आई० चर्च के पदाधिकारी है। आवेदिका के पूर्वज कभी भी चर्च को जमीन नहीं बेचे हैं। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि यह मुकदमा प्रवीण एवं मुन्नी हेमरोम के बीच

M: 8/9/25

कृ०पृ०उल्टे

08/9/25 चल रहा है। जब से होश संभाले है, तब से चर्च का कब्जा देख रहे है। खतियान परना पाहन के नाम पर है। परना पाहन के तीन पुत्र हरिया, रामु एवं दयाल थे।

विपक्षीगण की ओर से भी तीन गवाह प्रस्तुत किये गये। गवाह सं०—1, सिकन्दर नाथ, पिता—स्व० इशहाक नाथ अपने शपथ—पत्र में कहते हैं कि सी०एन०आई० चर्च, कडरू ने वर्ष 1974 ई० जमीन लिए हैं, तत्पश्चात् वहाँ प्रार्थना सभा हो रहा है। चर्च की जमीन को गैर—अनुसूचित जनजाति से खरीद कर चर्च बना है, इनका पूर्ण रूप से राइट टाईटल एण्ड इन्टरेस्ट पॉजिशन में है। तकरारी जमीन चर्च को बेचने वाले को दिनांक—02.01.1939 ई० बन्दोबस्त कर दिया गया था, जो कि चर्च के केवाला में दर्शाया गया है। जमीन पर 1939 ई० से खेती नहीं हो रहा है तथा यह जमीन छप्परबंदी भी है। जमीन मालिक ने भी चर्च को स्वीकार किया एवं मालगुजारी रसीद चर्च के नाम से निर्गत करते आ रहे हैं। जमीन मालिक के देहांत के बाद पुत्र धरमा पाहन ने चर्च के नाम से मालगुजारी रसीद ले रहे है। धरमा पाहन ने सी०एन०आई० चर्च, कडरू के नाम पर मालगुजारी रसीद ले रहे हैं। सी०एन०आई० चर्च, कडरू ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा का उल्लघंन नहीं किया। चर्च के जमीन पर 70 वर्षो से खेती नहीं हो रहा है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि तकरारी जमीन महेन्द्र चन्द्र गोप से चर्च ने लिया हैं। महेन्द्र चन्द्र गोप को भूमि परना पाहन के द्वारा मिला है। खतियानी जमीन के जमींदार परना पाहन है। चर्च के नाम पर जमीन का रसीद कटता है, जिसे धरमा पाहन व परना पाहन के द्वारा जमीन मिला था। धरमा पाहन या परना पाहन ने तकरारी जमीन का सेटलमेंट किया था। तकरारी जमीन वकास्त भूईहरी पहनई है। जमींदार मुण्डा जाति के हैं।

विपक्षीगण की ओर से गवाह सं०—2, प्रवीण तिर्की पिता—स्व० पाल तिर्की अपने शपथ—पत्र में कहते हैं कि इस वाद में मैं विपक्षी सं०—03 हूँ। सी०एन०आई० चर्च, ने 1974 में जमीन लिया है, जिसमें प्रार्थना होता है। खाता सं०—193, प्लॉट सं०—620, रकबा—38 डिसमिल जमीन खेती योग्य नहीं है। तकरारी जमीन की प्रकृति छप्परबंदी है। जमीन मालिक ने भी चर्च को स्वीकार किया तथा मालगुजारी रसीद चर्च के नाम से निर्गत करते आ रहे हैं। मैंनें न्यायालय में 14 रसीद दाखिल किये हैं। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा का उल्लघंन नहीं किये है, लगभग 70 वर्षो से जमीन पर खेती—बाड़ी नहीं हो रहा है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते हैं कि मैं चर्च में सचिव के पद पर स्थापित हूँ। चर्च ने विवादित जमीन को खरीदा है। 67 वर्ष पूर्व खेती होती थी। मेरे द्वारा

Mi-J 8/9/25

कृ०पृ०उल्टे

08/9/25 रसीद प्रदर्श कराया गया है। यह परना पाहन एवं धरमा पाहन के लिखावट में है। तकरारी जमीन वकास्त भूईहरी पहनई है।

विपक्षीगण की ओर से गवाह सं०—3, मनोज कुमार तिग्गा, पिता—रोशन तिग्गा अपने शपथ—पत्र में कहते हैं कि मैं दोनों पक्ष को जानता हूँ तथा तकरारी जमीन को भी जानता हूँ। तकरारी सम्पत्ति सामान्य व्यक्ति से रजिस्ट्री केवाला के द्वारा 1974 ई० में खरीदा गया है। सामान्य व्यक्ति से सम्पत्ति खरीदने पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा का उल्लघंन नहीं होता है। 1974 ई० से आजतक चर्च का दखल—कब्जा है तथा चर्च ही मालिक है। ज़मींदार ने इस सम्पत्ति को चर्च की सम्पत्ति का मान्यता दे चुका है तथा मालगुजारी रसीद चर्च के नाम पर कटता है। वे अपने प्रतिपरीक्षण में कहते है कि मैंने खतियान को देखा है। सामान्य व्यक्ति से तकरारी जमीन का परमिशन नहीं लिया गया है। विपक्षीगण की ओर से निम्नलिखित कागजात दाखिल की गयी।

(1) Exhibit A- Registered Deed No. 945, Year-1974
(2) Exhibit B- Rent Receipt Guranted by Jamindar
(3) Exhibit B/1- Rent Receipt Guranted by Jamindar in favour of C.N.I. Church Kadru.
(4) Exhibit B/2- Rent Receipt Guranted by Jamindar in favour of C.N.I. Church Kadru.
(5) Exhibit B/3- Rent Receipt Guranted by Jamindar in favour of C.N.I. Church Kadru.
(6) Exhibit B/4- Rent Receipt Guranted by Jamindar in favour of C.N.I. Church Kadru.
(7) Exhibit B/5- Rent Receipt Guranted by Jamindar in favour of C.N.I. Church Kadru
(8) Exhibit B/6- Rent Receipt Guranted by Jamindar in favour of C.N.I. Church Kadru
(9) Exhibit B/7- Rent Receipt Guranted by Jamindar in favour of C.N.I. Church Kadru
(10) Exhibit B/8- Rent Receipt Guranted by Jamindar in favour of C.N.I. Church Kadru
(11) Exhibit B/9- Rent Receipt Guranted by Jamindar in favour of C.N.I. Church Kadru
(12) Exhibit B/10- Rent Receipt Guranted by Jamindar in favour of C.N.I. Church Kadru
(13) Exhibit B/11- Rent Receipt Guranted by Jamindar in favour of C.N.I. Church Kadru
(14) Exhibit B/11- Rent Receipt Guranted by Jamindar in favour of C.N.I. Church Kadru

8/9/25

कृ०पृ०उल्टे

08/9/25

(15) Exhibit B/12- Rent Receipt Guranted by Jamindar in favour of C.N.I. Church Kadru

(16) Exhibit B/13- Rent Receipt Guranted by Jamindar in favour of C.N.I. Church Kadru

आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के साथ लिखित बहस दाखिल किया गया है, जिसमें वे कहते हैं कि आवेदिका मुन्नी हेमरोम अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं। उनका एक मात्र नाबालिग पुत्र ओम हेमरोम है। आवेदिका ने वर्णित भूमि सी॰एन॰आई॰ चर्च, कडरू पर जमीन वापसी के लिए यह केस किया है। प्रश्नगत् भूमि मौजा—कडरू, थानां सं०—208, खाता सं०—193, प्लॉट सं0—620, कुल रकबा—47 डिसमिल, मध्ये रकबा—38 डिसमिल है। खतियानी जमींदार रैयत परना पाहन उर्फ वरना पाहन के आवेदिका उत्तराधिकारी है। जमीन वकास्त भूईहरी पहनई है, जो स्थानांतरण योग्य नहीं है। इस जमीन में कृषि कार्य हो सकता है एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के पारंपरिक कार्य एवं अनुष्ठान भी किया जा सकता है। जमीन को छप्परबंदी के रूप में बदला नहीं जा सकता है। 38 डिसमिल जमीन सी॰एन॰आई॰ चर्च, कडरू ने छल—प्रपंच कर अवैध तरीके से गलत कागज बनाकर जब्त कर लिया है। विपक्षीगण द्वारा छप्परबंदी के संबंध में कोई भी दस्तावेज दाखिल नहीं किये। आगे कहते हैं कि सी॰एन॰आई॰ चर्च, कडरू के द्वारा दाखिल निबंधित पट्टा में महेन्द्र चन्द्र गोप ने दिनांक—02.01.1939 को प्रश्नगत् खाता एवं प्लॉट को कैसे हासिल किया है। इस संबंध में आवेदिका एवं विपक्षीगण का बहस के बारे जिक्र किया। आगे कहते हैं कि दिनांक—18.01.1974 को निबंधित विक्रय पट्टा संख्या—945 को देखने से पता चलता है कि विक्रेता महेन्द्र चन्द्र गोप ने उक्त जमीन को छप्परबंदी के माध्यम से हासिल किया था। लेकिन छप्परबंदी में वाद संख्या कहीं दर्ज नहीं है। महेन्द्र चन्द्र गोप ने प्रश्नगत् जमीन को दिनांक—02.01.1939 ई० तत्कालीन जमींदार वरना पाहन उर्फ परना पाहन से बन्दोबस्ती के माध्यम से जमीन हासिल कर लिया। महेन्द्र चन्द्र गोप ने 1974 ई० में **The Priest incharge and successor in the office of Ranchi Priest of the Church of India under the Chotanagpur DIOccsan Trust Association through its present Priest incharge REV C.M. Kerketta a charitable register CO. having its head Church** को बिक्री किया। प्रश्नगत् जमींदार वरना पाहन उर्फ परना पाहन ने मृत्यु के बाद अपने पीछे हरिया पाहन, रामु पाहन एवं रघु पाहन को छोड़ गये तथा इन्हीं लोगों का दखल—कब्जा था। हरिया

8/9/25

कृ०पृ०उल्टे

08/9/25

पाहन अपने पीछे करमा पाहन एवं धरमा पाहन को छोड़ गये, इनका भी दखल–कब्जा था। वर्ष 2009 में धरमा पाहन की मृत्यु हो गयी। उसके बाद विपक्षीगण जमीन पर दखल–कब्जा कर लिए। आदिवासी खाते की रैयत बकाश्त भूईहरी जमीन गैर–अदिवासी को छप्परबंदी के लिए लिखित दस्तावेज करवाना चाहिए था। जिस जमीन का छप्परबंदी हुआ, उसमें वंशानुगत नहीं हुआ था। जिस व्यक्ति ने छप्परबंदी किये हैं यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो बकाश्त भूईहरी पहनई जमीन जमींदार को वापस हो जाना चाहिए। वर्तमान में सी॰एन॰आई॰ चर्च, कडरू द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 एवं 48 का उल्लघंन किए है। इसलिए उपरोक्त जमीन आवेदिका को वापस होना चाहिए। आवेदिका की ओर से खतियान की छायाप्रति एवं वंशावली शपथ–पत्र के माध्यम से दाखिल किया है। इस संबंध में आवेदिका की ओर से निम्नलिखित माननीय उच्च न्यायालय का अनेक हवाला दिए है जो इस प्रकार है।

माननीय उच्च न्यायालय, राँची C.W.J.C No.-1763/1999(R) Arvind Giri & others Versus State of Bihar & others.

माननीय उच्च न्यायालय, राँची W.P. (C) No.-5162/2003 Subash Kumar Modi & other Versus State of Jharkhand & others.

विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता बहस के साथ लिखित बहस दाखिल किये। वे कहते हैं कि आवेदिका ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" के अंतर्गत जो वाद लाया वह सच्चाई को छुपाते हुए लाया है। सी॰एन॰आई॰ चर्च, कडरू ने दिनांक–18.01.1974 ई० को निंबधित पट्टा द्वारा सामान्य व्यक्ति से खरीदें हैं, जिसका डीड सं०–945 है। अतः सी॰एन॰आई॰ चर्च, कडरू को छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 की परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं थी। अतः इस धारा का चर्च ने कोई उल्लघंन नहीं किया। महेन्द्र चन्द्र गोप को रैयत ने 1939 ई० में बन्दोबस्त कर दिए थे, जिसका जिक्र निबंधित पट्टा में है। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–46 के अंतर्गत परमिशन दिनांक–05.01.1948 ई० से आवश्यकता नहीं थी। वर्ष 1948 ई० से पहले इस परमिशन की आवश्यकता नहीं थी। जबकि महेन्द्र चन्द्र गोप को 1939 ई० में बन्दोबस्त कर दिया था। यह जमीन कृषि योग्य नहीं है। सी॰एन॰आई॰ चर्च, कडरू 1976 ई० से ही दखलकार होकर, पक्का चर्च का निर्माण कर प्रार्थना करवा रहे हैं। जिसकी जानकारी आवेदिका को भी है। चूँकि सी॰एन॰आई॰ चर्च, कडरू ने सामान्य व्यक्ति से जमीन खरीदा है, इसलिए इसपर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A"

M:-J 8/9/25

कृ०पृ०उल्टे

08/9/25

के अंतर्गत यह वाद चलने योग्य नहीं है। रैयत ने 1939 ई० में ही वर्णित भूमि को 400 (चार सौ) रूपया लेकर छप्परबंदी के रूप में बन्दोबस्त कर दिए हैं। यह जमीन भूईहरी किस्म की है, इसलिए सरकार में निहित नहीं है। रैयत को यह अधिकार था कि वह किसी भी व्यक्ति को जमीन को बन्दोबस्त कर दे। इसी के आधार पर महेन्द्र चन्द्र गोप को जमीन बन्दोबस्त कर दिए थे। और सी०एन०आई० चर्च, कडरू को रैयती रेन्ट रिसिप्ट चर्च के पक्ष में निर्गत कर रहें हैं, जिसे न्यायालय में प्रदर्श कराया गया है। तकरारी जमीन पर यह 50 वर्षो बाद लाया गया है। इसलिए यह वाद चलने योग्य नहीं है तथा कालबाधित है। इसमें कुछ गवाहों ने माना है कि यह कृषि योग्य नहीं है। जो भूमि कृषि योग्य नही है उस पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" लागू नहीं होता है। यह वाद चलने योग्य नहीं है। इस संबंध में विपक्षीगण के अधिवक्ता का कहना है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–14 में कहा गया है कि प्रार्थना स्थल पर या जिस जमीन पर प्रार्थना हो रहा है, उस पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम–1908 की धारा–71"A" लागू नहीं होता है, तथा जमीन वापस नहीं किया जा सकता है। जो इस प्रकार हैः–

14. Annulment of encumbrances on resumption of resumable tenure.-(1) Upon the resumption of a resumable tenure, every lien, subtenancy, easement or other right or interest created, without the consent or permission of the grantor or his successor-in-interest by the grantee or any of his successors, on the tenure, or in limitation of his own interest therein, shall be deemed to be annulled, except the following, namely:-

(a) any lease of land whereupon a dwelling house, manufactory or other permanent building, has been erected or a permanent garden, plantation, tank, canal [1][bandh, ahar other work of irrigation] place of worship, or burning of burying ground has been made, or wherein a mine has been sunk under lawful authority;

विपक्षीगण की ओर से निम्नलिखित माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चत्तम न्यायालय के केस का हवाला दिए हैं, जो इस प्रकार हैः–

"Situ Sahu & others Versus State of Jharkhand & others" [2004 (4) JCR 211(SC)], Hon'ble Supreme Court.

Jagjiwan Singh Versus State of Bihar & others Hon'ble Jhrkhand High Court, 2013 (4) AJR 561.

अतः दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं का बहस सुनने तथा कागजातों के अवलोकन से इस निष्कर्ष पर पहूँचे हैं कि सी०एन०आई० चर्च, कडरू ने तकरारी जमीन को सामान्य व्यक्ति से दिनांक–18.01.1974 को डीड के माध्यम से खरीदा है जिसका

8/9/25

कृ०पृ०उल्टे

डीड सं०—945 है और इस भूमि पर चर्च के द्वारा प्रार्थना करवाया जाता है। अतः छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा—14 के अनुसार प्रार्थना स्थल पर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम—1908 की धारा—71 "A" के अंतर्गत जमीन को वापस नहीं किया जा सकता है तथा यह वाद कालबाधित भी है। इसलिए आवेदक के आवेदन को खारिज किया जाता है तथा वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

M; 18/9/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

M; 18/9/25
विशेष विनियमन पदाधिकारी,
राँची।

Digitally signed by MANISHA TIRKEY
Date: 2025.10.11 16:18:23 +05:30
Location: 192.168.132.39